उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-32/3655/26-1-2013-सक-1

लखनऊ : दिनांक : 04 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या- 47625/2013 भगवान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 06-09-2013 को पारित आदेशों के क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

This court is not going to look into all these aspect of the matter, as record in question reflects that Principal Secretary, Social Welfare Department, Government of U.P. Lucknow has to take appropriate decision in the matter, as such liberty is given to the petitioner to make representation alongwith certified copy of this order within three weeks from today before the Principal Secretary, Social Welfare Department, Government of U.P. Lucknow, who shall take appropriate decision on the same in accordance with law, preferably within period of next three months from the date of production of certified copy of this order after calling for report from District Social Welfare Officer, Gorakhpur as well as Regional Deputy Director, Social Welfare, Gorakhpur .

With these observations, writ petition is disposed of.

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में याची श्री भगवान, प्रवक्ता(हिन्दी), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गौनर चौरी-चौरा, जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 13-09-2013 को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया, जो शासन में दिनांक 16-09-2013 को प्राप्त हुआ। याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13-09-2013 में यह उल्लेख किया गया कि वह संबंधित इण्टर कालेज में प्रवक्ता (हिन्दी) के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, करारी, इलाहाबाद में हुई थी, तदनुक्रम में वह दिनांक 29-08-1988 से विभाग में कार्यरत है। स्थानान्तरण के पश्चात वह राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गौनर, चौरी-चौरा, गोरखपुर में अध्यापन कार्य कर रहा है। इस प्रकार उसके द्वारा विभाग में लगभग 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की जा चुकी है।

3- याची अपने सेवाकाल में एक सक्षम अनुशासनप्रिय योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा है तथा उसके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय में शत-प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उक्त उत्कृष्ट कार्य हेतु उसे प्रशंसा पत्र व पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं तथा उसे आज तक विभाग से कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली है। इस संबंध में याची द्वारा शिक्षा सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में प्रधानाचार्य एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिये गये प्रशस्ति पत्रों की छायाप्रतियॉ भी संलग्न कर प्रेषित की गयी है। याची द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद दिनांक 31-05-2013 से रिक्त था, उक्त रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने हेतु उसके द्वारा अनुरोध किया गया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर उसने मा0 उच्च

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय में प्रश्नगत रिट याचिका योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किये गये हैं।

4- मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 06-09-2013 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में याची श्री भगवान, प्रवक्ता(हिन्दी), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गौनर, चौरी-चौरा, गोरखपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 13-09-2013 पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 26-11-2013 को एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 27-11-2013 को प्रेषित की गयी, जो शासन में दिनांक 28-11-2013 को प्राप्त हुई। दोनों अधिकारियों की आख्या में याची के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य शासन के संज्ञान में लाये गये:-

(1) याची श्री भगवान की नियुक्ति वर्ष 1988 में सहायक अध्यापक के पद पर विभाग में हुई थी। वह राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, विशुनपुरा, चौरी-चौरा, गोरखपुर में कार्यरत थे। निदेशालय समाज कल्याण के आदेश संख्या-सी-80/सक/स्था0-2/प्रवक्ता-पदोन्नति/2012-13, दिनांक 08-05-2013 द्वारा याची को सहायक अध्यापक पद से प्रवक्ता(हिन्दी) के पद पर पदोन्नति किया गया। इस प्रकार पदोन्नति के फलस्वरूप याची दिनांक 08-05-2013 से प्रवक्ता हिन्दी के पद पर प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत है।

(2) याची श्री भगवान एक उद्दण्ड एवं अनुशासनहीन शिक्षक है, जो छात्रों को पढ़ाने में रूचि नहीं रखते, विद्यालय में गुटबाजी करते है तथा अन्य अध्यापकों को नियमित कक्षाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं, इनके इस कृत्य के लिए प्रधानाचार्य/अधीक्षक व मण्डलीय उपनिदेशक द्वारा उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे गये एवं इन्हें चेतावनी भी दी गयी है।

(3) याची श्री भगवान लगभग 22 वर्ष से उक्त संस्था में तैनात है, इनके द्वारा परिसर में गाली-गलौज करने, शराब पीने एवं छात्रों को भड़काने के कारण संस्था का माहौल खराब हो रहा है, तदनुक्रम में इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव भी पूर्व में भेजा गया है।

(4) याची श्री भगवान का यह कथन असत्य है कि उनके अपने विषय में शत-प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उनके द्वारा पढ़ाये जा रहे हिन्दी विषय में हाईस्कूल परीक्षा वर्ष, 2013 में 04 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। यह इनके द्वारा विद्यालय की गुटबाजी में व्यस्त रहने एवं छात्रों को विषय का समुचित ज्ञान न देने से हुआ है।

(5) निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष मानदेय मद में आवंटित धनराशि समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों को अनुपातिक रूप से वितरित की गयी है, इसमें उत्कृष्टता का मापदण्ड नहीं अपनाया गया। याची के विरूद्ध पूर्व में निदेशालय से आरोप पत्र निर्गत हुआ था, जिसमें मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद जॉच अधिकारी नियुक्त किये गये थे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रश्नगत विद्यालय में संविदा के आधार पर प्रधानाचार्य तैनात थे,जिनका कार्यकाल दिनांक 31-05-2013 को समाप्त हो गया था। समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रिक्त पदों को संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2013-14 में भरे जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1292/26-1-2013-9(69)/2006, दिनांक 25-06-2013 द्वारा प्रदान की गयी, तद्नुक्रम में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिनांक 28-06-2013 को आदेश निर्गत किये गये। निदेशालय समाज कल्याण के आदेश दिनांक 26-08-2008 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा रिक्त प्रधानाचार्य पद का प्रभार जून, 2013 से दिनांक 29-10-2013 तक देखा गया।

(7) शासन एवं निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करते हुए प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर श्री बाबू राम का चयन करते हुए उनकी संविदा दिनांक 19-10-2013 को निष्पादित कर दी गयी है। श्री बाबू राम इण्टर कालेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है। इस प्रकार राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज गौनर, चौरी-चौरा गोरखपुर में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं रहा।

(8) राजकीय इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रवक्ता के रूप में 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा आवश्यक है, जबकि श्री भगवान का कार्यकाल प्रवक्ता के रूप में केवल 01 वर्ष का है। श्री भगवान द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य पद की मॉग मात्र इसलिए की जा रही है, ताकि वह विद्यालय के शैक्षणिक क्रिया-कलाप में बाधा डालकर अराजकता उत्पन्न कर सके एवं अधीक्षक को दोषारोपित कर उसे हटवाकर स्वयं अधीक्षक का प्रभार ले सके।

(9) श्री भगवान इससे पूर्व वर्ष 2010 में उक्त संस्था के प्रभारी अधीक्षक का कार्य देख रहे थे। उक्त अवधि में विद्यालय का संचालन संतोषप्रद नहीं था तथा व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया।

(10) उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा याची श्री भगवान, प्रवक्ता हिन्दी, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज विशुनपुरा चौरी-चौरा, जनपद गोरखपुर को प्रधानाचार्य पद का प्रभार देना छात्रहित/विद्यालयहित एवं जनहित में उचित नहीं बताया गया है। वर्तमान समय में प्रश्नगत विद्यालय में संविदा प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जा चुकी है तथा संविदा प्रधानाचार्य द्वारा पदभार ग्रहण कर विद्यालय में पठन-पाठन का संतोषजनक वातावरण स्थापित किया जा चुका है।

5- उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं के जनपद स्तर पर नियंत्रक प्राधिकारी प्रधानाचार्य/जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं। उक्त विद्यालय में नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं है। संविदा प्रधानाचार्य की नियुक्ति दिनांक 19-10-2013 को की जा चुकी है। संविदा प्रधानाचार्य के द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी जो कि विद्यालय के नियंत्रक प्राधिकारी है एवं गोरखपुर उपनिदेशक समाज कल्याण गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार याची श्री भगवान प्रवक्ता (हिन्दी) का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता तथा प्रश्नगत विद्यालय में संविदा प्रधानाचार्य की नियुक्ति दिनांक 19-10-2013 को की जा चुकी है, जो दिनांक 31-05-2014 तक अपने पद पर रहेंगे। इस प्रकार प्रश्नगत विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं रहा। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत याची श्री भगवान प्रवक्ता (हिन्दी) राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुरा गौनर, चौरीचौरा, गोरखपुर को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना संभव नहीं है एवं तद्नुसार याची द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 13-09-2013 एतद्द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-32/3655(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5- श्री भगवान, प्रवक्ता(हिन्दी), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, विशुनपुरा गौनर, चौरीचौरा, गोरखपुर।
6- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in